उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H04449/सी–5/96/OA no-350/23 दिनांक 19/12/2023

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: **Regrading Inspection Reprot in O.A. No. 350/2022 (I.A. no. 637/2023) Mahesh Kumar Versus State of Uttar Pradesh order dated 06.10.2023.**

Sir,

In compliance to the order dated 06.10.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 350/2022 (I.A. no. 637/2023) Mahesh Kumar Versus State of Uttar Pradesh order dated 06.10.2023, the Inspection Report on behaf of UPPCB is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
2. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Raebareli.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेवसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 644/N-8/G/2023-24 दिनांक– 13-12-2023

सेवा मे,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के अन्तर्गत योजित आई0ए0 संख्या–637/2023 में पारित आदेश दिनांक–06.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के अन्तर्गत योजित आई0ए0 संख्या–637/2023 में पारित आदेश दिनांक–06.10.2023 के अनुपालन में ईंट भट्ठे मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश संख्या–एच63463/सी–5/सामा0–546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के अनुपालन में ईंट भट्ठा पूर्व के अनुसार ही बन्द पाया गया।

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में ईंट भट्ठे मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली की अद्यतन निरीक्षण आख्या आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न कर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में अपने स्तर से दाखिल करने हेतु आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
13/12/23

प्रतिलिपिः–मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के अन्तर्गत योजित आई0ए0 संख्या–637/2023 में पारित आदेश दिनांक–06.10.2023 के अनुक्रम में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के अन्तर्गत योजित आई0ए0 संख्या–637/2023 में पारित आदेश दिनांक–06.10.2023 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

" **I.A. No. 637/2023**

1. I.A. No. 637/2023 has been filed by one Akash Bajpayee for impleadment on the ground that he is the owner of a brick kiln likely to be affected by the order passed in OA No. 889/2022 today. On due consideration, IA is allowed.
2. Registry is directed to prepare an amended memo of parties.

Original Application No. 350/2022

3. This matter relates to the allegation of violation of environmental norms by the brick kilns at Raebareli, Uttar Pradesh.
4. This Tribunal has passed a detailed order today in connected OA No. 889/2022 after considering the report filed by the UPPCB.
5. Learned Counsel appearing for the UPPCB has prayed for further time to file a fresh report in this matter also in terms of order passed in OA No. 889/2022. The prayer is allowed. "
6. List on 21.12.2023.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांक–06.10.2023 के अनुक्रम में मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण मोहन बाजपेई उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का अक्षांश–26.132755 एवं देशान्तर–80.779456 है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष 1998–99 में तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाइडलाइन के अनुरूप स्थल चयन कर किया गया था। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त ईंट भट्ठे के प्रोपराईटर श्रीमती शशी पत्नी श्री संतोष कुमार निवासी ग्राम–भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली हैं।
3. उक्त ईंट भट्ठा 23 पाया (25000 ईंट प्रतिदिन उत्पादन) क्षमता का साधारण ईंट भट्ठा है। जिसमें गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 110 फिट ऊँची चिमनी स्थापित है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय के सहमति आदेश संख्या–71/सहमति (वायु)आदेश/10–11 दिनांक–13.09.2010 के माध्यम से 02.08.2010 से 31.12.2014 तक की अवधि हेतु सशर्त सहमति (वायु) निर्गत है **(छायाप्रति संलग्न)**।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रायबरेली के पत्र सं0–161(2)/जि0पं0/2022–23 दिनांक 20.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे को वर्ष

2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तक अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में कार्यालय द्वारा कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**।

6. कार्यालय अभिलेखानुसार उपायुक्त राज्य कर, खण्ड–2, रायबरेली के पत्र सं0–251(1)/कार्य0उपा0/रा0क0/खण्ड–2/रायबरेली/सूचना दिनांक 16.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय पोर्टल के अनुसार ईंट भट्ठा का संचालन भट्ठा संमाधान वर्ष 2012–13 (01.10.2012 से 30.09.2013) तक ही किया गया है। इसके उपरान्त ईंट भट्ठा से संबंधित कोई निर्माण, खरीद–बिक्री कर कार्य प्रदर्शित नहीं किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**।
7. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा एवं 250 मीटर की दूरी पर ए0एन0एम0 सेन्टर तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर नवीन रामगंगा महाविद्यालय का भवन निर्मित पाया गया।
8. ईंट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित बगीचा पाया गया।
9. उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 का अनुपालन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0–522/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 22.09.2022 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तह0–लालगंज, रायबरेली को संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने एवं लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित किए जाने हेतु पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है **(छायाप्रति संलग्न)**।
10. **निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश संख्या–एच63463/सी–5/सामा0–546/21/ईंटभट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के अनुपालन में ईंट भट्ठा पूर्व के अनुसार ही बन्द पाया गया।**

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13/12/23 13/12/23

(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

(दीपक मेहरा)
सहा0पर्या0 अभि0

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

13/12/23

Latitude: 26.133005
Longitude: 80.779024
Altitude: 59.1±5 m
Accuracy: 3.9 m
Time: 06-12-2023 16:31
Note: Narayan bricks field
Powered by NoteCam

Item No. 12 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 350/2022
(I.A. No. 637/2023)

Mahesh Kumar Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 06.10.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Respondent: Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Adv. for UPPCB (Through VC)
Mr. Sahil A. Garg Narwana, Adv. in I.A No. 637/2023

ORDER

I.A. No. 637/2023

1. I.A. No. 637/2023 has been filed by one Akash Bajpayee for impleadment on the ground that he is the owner of a brick kiln likely to be affected by the order passed in OA No. 889/2022 today. On due consideration, IA is allowed.

2. Registry is directed to prepare an amended memo of parties.

Original Application No. 350/2022

3. This matter relates to the allegation of violation of environmental norms by the brick kilns at Raebareli, Uttar Pradesh.

4. This Tribunal has passed a detailed order today in connected OA No. 889/2022 after considering the report filed by the UPPCB.

5. Learned Counsel appearing for the UPPCB has prayed for further time to file a fresh report in this matter also in terms of order passed in OA No. 889/2022. The prayer is allowed.

6. List on 21.12.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

October 06, 2023
Original Application No. 350/2022
(I.A. No. 637/2023)
DV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी—ब्लाक, आवास विकास कालोनी, इन्दिरा नगर

जेल रोड, रायबरेली — 229001

पंजीकृत

संदर्भ संख्या 819/N-42/R /वायु प्रदूषण/ 10-11 दिनांक 13.9.10

सेवा में,

मे0 नारायण ब्रिक फील्ड

ग्राम कोरवा बिजोली, ऊंचाहार रायबरेली

रायबरेली

विषय :— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या .... सहमति (वायु) आवेश/ 71 दिनांक 02.8.10 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक 01, से 15 तक जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1— सहमति में दिये गये शर्तो एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय का अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2— × — के0बी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से — मी0 ऊँचा किया जाय।

3— फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4— वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख—रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5— इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले — आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6— आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु गण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7— उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8— यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी – ब्लाक, इन्दिरा नगर (आवास विकास)
रायबरेली – 229001

सहमति आदेश पत्र

संख्या 71 / सहमति (वायु) आदेश 10-11 रायबरेली, दिनांक 13.9.10

विषय : सहमति मैं0 नारायण ब्रिक फील्ड, कोरवा, निठौली, रायबरेली

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :– आवेदन संख्या शून्य दिनांक शून्य

1– वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 नारायण ब्रिक फील्ड, कोरवा, निठौली, रायबरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2 – यह सहमति दिनांक 02-08-2010 से 31-12-2014 तक अवधि तक मान्य होगी। (द्वितीय ... दो हजार चौदह तक)

3– इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

अनुलग्नक :– संलग्नक
(सहमति शर्तें)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी – ब्लाक, इन्दिरा नगर (आवास विकास)
रायबरेली – 229001

संलग्नक सहमति आदेश संख्या ..../ सहमति (वायु) आदेश/ ....

दिनांक ....

सहमति शर्तें

1 – फ्लू गैस की प्रति घंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिए गए चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होना चाहिए।

(अ) ईंट भट्ठे से सम्बद्ध चिमनी
(ब) ....
(स) ....
(द) ....
(य) ....

2 – वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(अ) सस्पेन्डेड पार्टीकुलेट मैटर — मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
(ब) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि) ....
(स) हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट .... पी.पी. एम.
(द) सल्फर डाई आक्साइड ....
(य) कार्बन मोनोआक्साइड ....
(र) हाईड्रोजन ....
(ल) अमोनिया ....
(व) क्लोरीन ....
(श) मरकैप्टेन ....
(ष) ....

बोर्ड मानकों के अनुरूप

3 – समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4– बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन प्रयोग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5– बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

6 – बिन्दु 4, 5, एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जायें।

7 – इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी / स्टैक का प्रांविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।

8 – सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाय।

9 (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के ......एक...... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई मे उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10 – किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा – 29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड औश्र अन्य संस्थानों पर संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11 – इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12 – इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नही होना चाहिए।

13 – इकाई द्वारा ब्रोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त अथवा किसी अन्य 'आउट लेट'' से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14 – इकाई से आबादी, कृषि उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15 – आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वालें समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिकप्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16 – उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।

17 – आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी को कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उतर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18 – बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19 – आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण-से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20 – इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21 – इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

23/9/22

12

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रायबरेली।

पत्रांक– /जि0पं0/2022–23 दिनांक –

विषय–मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम कोरवा पो0 बिठूल भोजपुर तहसील लालगंज जनपद रायबरेली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र सं0 421/एन0–8/जी0/आर0/2022–23 दिनांक 09.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे0 नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कारेवा पो0 बिठूल भोजपुर तह0 लालगंज जनपद रायबरेली को क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा दिये गये आख्या के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तक अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा 2019–20, 2020–21 व 2021–22 में कार्यालय द्वारा कोई भी अनुज्ञा पत्र जारी नही किया गया है। तदनुसार उपरोक्त आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली

पृ0सं0– 161(1)/जि0पं0/2022–23 तद्दिनांक 20-09-2022

प्रतिलिपि –1. जिलाधिकारी महोदया रायबरेली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रायबरेली।

(1407)

R.O. (प्रदूषण)

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली

21-09-22

24/09/22

23/9/22

13

प्रेषक,

उपायुक्त राज्य कर,

खण्ड -2, रायबरेली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी-ब्लाक इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी

रायबरेली।

दिनांक 16/09/2022

पत्रांक 95 /कार्य0उपा0/रा0क0/खण्ड-2/ रायबरेली/सूचना/::

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्रांक 492 / दिनांक 09/09/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा इस कार्यालय क्षेत्र की फर्म सर्वश्री नारायण बिक्री फील्ड ग्राम कोरवा पो0 बिठूली, भोजपुर तहसील लालगंज, रायबरेली के विरूध्द मो0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के सम्बन्ध में उक्त् फर्म के द्वारा वर्ष 2015 से 2022 के मध्य ईट भट्ठा के संचालन के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त संदर्भ में उक्त् फर्म सर्वश्री नारायण बिक्री फील्ड ग्राम कोरवा पो0 बिठूली, भोजपुर तहसील लालगंज, रायबरेली टिन नं0 09752501177 फर्म स्वामी श्री संतोष कुमार बाजपेयी पुत्र राम दत्त बाजपेयी के द्वारा विभागीय पोर्टल पर जॉच पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा भट्ठा का संचालन भट्ठा समाधान वर्ष 2012-13 (दिनांक 01/10/2012 से 30/09/2013) तक ही किया गया है, इसके बाद इनके द्वारा उक्त् भट्ठा से सम्बन्धित कोई निर्माण, खरीद-विक्री कर कार्य प्रदर्शित नही किया गया है। सूचना उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(एस0एम0पाण्डेय)

उपायुक्त राज्य कर, खण्ड -2,

रायबरेली।

24/9/22

प्रतिलिपि पत्र संख्या / /दिनाक उक्त।

1- जिलाधिकारी महोदया जनपद रायबरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- अपर जिलाधिकारी/(प्रशासन) जनपद रायबरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(1408) R.O. (प्रदूषण)

उपायुक्त राज्य कर, खण्ड -2,

रायबरेली।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

रायबरेली

27.09.22

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 522/N-8/G/R/2022-23 दिनांक- 22/9/22

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके तहसील में स्थापित मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम–कोरवा, पो0–विदूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63463/सी–5/सा0–646/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। जो वर्तमान में प्रभावी है। ईट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में एवं ईट उद्योग के विरूद्ध मा0 अधिकरण में योजित वाद के विचाराधीन होने के दृष्टिगत ईट उद्योग का संचालन निषेधित होने ~~का~~ को सत्यापन करने व लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रश्नगत वाद में शिकायतकर्ता श्री महेश कुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक–21.03.2022 व संयुक्त जांच आख्या दिनांक–28.06.2022 के आलोक में बिन्दुवार आख्या, फोटोग्राफ्स सहित शीघ्र प्रस्तुत करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
3. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला–पंचायत, जनपद–रायबरेली।
5. थानाध्यक्ष सरेनी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि सन्दर्भित ईट उद्योग का निषेधित कराते हुए सतत निगरानी की जाय।

जिलाधिकारी, रायबरेली

O/C

23/09/22

UPPCB

उत्तर प्रदेश 199 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63463/सी–5/सा0–546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 *Date 15.07.2021*

पंजीकृत

Narayan Brick Field,
Vill. Korwa, Bithouli, Bhojpur, Tehsil Lalganj, Raebareli.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

…….. 21. Restrictions on use of certain industrial plants.— (1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)